



परिपत्र

विषय : पीबीएस (PBAS) और कैरियर प्रोन्नयन योजना (CAS) संबंधी समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन के तहत समस्त विश्वविद्यालयों को डिजिटल तौर पर सक्षम बनाने के लिए 'समर्थ' के तहत ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इसके तहत उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूल में से विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु पीबीएस (PBAS) और कैरियर प्रोन्नयन योजना (CAS) संबंधी आवेदन भरने तथा मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र आरंभ की जानी है।

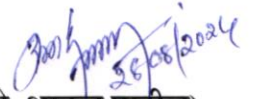
इस परिप्रेक्ष्य में 'समर्थ' एजेंसी के प्रशिक्षकों द्वारा दिनांक 30.08.2024 को अपराह्न 4:00 बजे ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कस्तूरबा सभागार, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा में आयोजित किया गया है।

विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु यथासमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय केंद्रों-प्रयागराज तथा कोलकाता एवं रिद्धपुर (अमरावती) केंद्र के शिक्षकों की सहभागिता हेतु संबंधित अकादमिक निदेशक/प्रभारी को दिनांक 30.08.2024 को यथासमय लिंक भेजी जायेगी।

वर्धा मुख्यालय में पदस्थ कोई शिक्षक किन्हीं अपरिहार्य कारणवश प्रत्यक्ष सहभागिता में असमर्थ हो तो वह कारण का उल्लेख करते हुए अपने विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता के माध्यम से दिनांक 29.08.2024 को अपराह्न 5:00 बजे तक कुलसचिव कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें, ताकि ऑनलाइन सहभागिता हेतु लिंक भेजा जा सके।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जाता है।


 (प्रो. आनन्द पाटील)
 कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त स्थायी शिक्षक।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष / प्रभारी, केंद्र निदेशक
4. अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
5. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
6. प्रभारी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धपुर (अमरावती)
7. निदेशक, वर्धा समाज कार्य संस्थान
8. निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय
10. कुलसचिव कार्यालय
11. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
12. अकादमिक विभाग
13. लीला प्रभारी, एवं नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु
14. रक्षित पत्रावली।